

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**  
**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**  
**[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]**

फ.सं./No.F. 2-9/2021- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

Ansari Nagar, New Delhi-110029

दिनांक/Dated 05 FEB 2026

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER**

**विषय:-** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट के पद पर पदोन्नति।

**Subject:- Promotion to the post of Physiotherapist/Occupational Therapist at the AIIMS, New Delhi.**

\*\*\*\*\*

दिनांक 14.01.2026 को फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित जूनियर फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट को पदभार ग्रहण करने की तिथि से फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -6 (पूर्व संशोधित पी.बी.-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड पे.रु.4200/-) पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Physiotherapist/Occupational Therapist held on 14.01.2026 and its acceptance by the Competent Authority, the following Junior Physiotherapist/Occupational Therapist are promoted to the post of Physiotherapist/Occupational Therapist in Level-6 of the pay matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4200/-) from the date they assume the charge of the post of Physiotherapist/Occupational Therapist:-

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01.	Ms. Fauzia Javed Sheereen	UR	UR	CTVS
02.	Ms. Priya Walia	UR	UR	NCI, Jhajjar

इनकी वरिष्ठता फिजियोथेरेफिस्ट/ ओक्यूपेसनल थेरेफिस्ट के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात् 14.01.2026 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Physiotherapist/Occupational Therapist will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 14.01.2026.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर, बाडसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें वर्षते उन्हे आंशोधित आश्वस्ति वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्ति वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22 (1) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Cont. on -2-

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढ़सा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

वे दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवाबिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory services failing which their services can be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

*Ch 6  
5.2.26*

सी. जी. सत्यन / C. G. SATHYAN  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ ASSTT. ADMIN. OFFICER

**संबंधित व्यक्ति/ The persons concerned**

द्वारा/Thr.: - उनके संबंधित विभागाध्यक्ष

Their concerned Head of Department

**प्रतिलिपि:**

- 1 चीफ/Chief, सी.टी. वी. एस./ CTVS / आचार्य ऐवम विभागाध्यक्ष/ - Prof. & Head, /NCI, Jhajjar
- 2 प्रशासनिक अधिकारी /Administrative Officer – CNC / NCI, Jhajjar
- 3 स्थापना अनुभाग /Establishment Section- CNC / NCI, Jhajjar
- 4 लेखा विभाग/ Accounts Section - II/III / CNC / NCI, Jhajjar
- 5 जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल/ एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग/लीगल सेल/वूमेन सेल - GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell/Legal Cell / Women Cell
- 6 प्रो. इन्चार्ज- कम्प्यूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलॉड करें।  
Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
- 7 डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रक्रोष्ट के संबंधित सहायक  
Dealing Assistant, Recruitment Cell

सरकारी मालिक एवं नियंत्रित संस्थान